

श्री यमुना प्रसाद मंडन : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

RESTORATION OF RELIGIOUS PLACES BILL*

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिन धार्मिक स्थानों पर अवैध कल्पा है, उनका वैध दावेदारों को प्रत्याग्रत्तं करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for restoration of religious places under illegal occupation to their legal claimants."

The motion was adopted.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of Article 155 and Amendment of Article 156, etc.)

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri S. S. Kothari : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Sheo Narain—absent. Shri Madhu Limaye.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of Chapter XI and Section 144)

श्री मधु लिमये (मुगेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दंड प्रक्रिया मंहिता, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 124)

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P. K. DEO : I introduce the Bill.

RE : DEATH OF SHRI LAL BAHADUR SHASTRI

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, इसके पहले कि श्री रामावतार शास्त्री श्री सूरजभान के विधेयक पर बोलना प्रारम्भ करें मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मध्याह्न में भी जिस समय आप उपस्थित थे, मैंने इस

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 12-11-1971.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

गम्भीर समस्या की ओर व्यान दिलाया था। जिस समय आप इसी आसन पर विराजमान थे उस समय कहा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। अभी यह पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बयानों को फिर से बरलवाया जा रहा है। यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं चाहता हूँ कि आप सरकार से कहें कि वह तत्काल इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें, वर्ना तरह-तरह की भ्रातियां पैदा होने की आशंका है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, इस मामले में सारा देश बड़ा उद्घिन है और जिस प्रकार से श्री टी० एन० कौल मास्को गये तथा जिस प्रकार की ओर बातें हो रही हैं उनसे यह भ्रम फैल रहा है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए इस मामले में पेशबन्दी होनी चाहिए और मुलाजिमों पर जो दबाव डाला जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही जो मांग उठ रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूँ कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। जब श्री शास्त्री की पत्नी ने कहा है कि जांच होनी चाहिये तब यह और आवश्यक हो जाता है और इस बारे में देश का समाधान होना चाहिये।

सभापति महोदय : इस समय यह सवाल कहाँ से आ गया। सुवह श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस को उठाया था।

श्री श्रीचन्द्र गोयल (चण्डीगढ़) : जब यह प्रश्न उठा दिया गया है और जब आप ने उस की अनुमति दे दी, तब मैं समझता हूँ कि सदन इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि सरकार इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये ताकि

नाजायज रूप में सरकारी कर्मचारियों पर दबाव न लाया जा सके और रेकार्ड न बदला जा सके। इस बात की पूरी व्यवस्था करना आवश्यक है।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : यह बात आज बिल्कुल पोलिटिकल खयाल से उठाई जा रही है (व्यवधान) पांच साल के बाद यह सवाल उठाया जा रहा है इससे मानूस होता है... (व्यवधान) मैं चाहता हूँ...

सभापति महोदय : इस तरह से तो कोई काम नहीं होगा कि जिसकी मर्जी हो वह बिना चेप्रर के परमिशन के जब चाहे बोलना शुरू कर दे। मैंने श्री शास्त्री को बुलाया, उन्हाने कह दिया और सारी बातें खत्म हो गई अगर बार-बार इस तरह की बातें आती हैं तो गवर्नरमेंट जाने और सदन जाने।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : आप खुद ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं। इस समय क्या कारण था कि आपने इस सवाल को उठाने का मौका दिया? सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य को यह सवाल उठाने का मौका क्यों दिया, जबकि उसका कोई मौका नहीं था?

16.21 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(Contd.)

(Amendment of Articles 330 and 332)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय हम लोग पिछले सत्र से श्री सूरज भान के संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं और आज उसको अन्तिम रूप से पास करने जा रहे हैं। यह विधेयक बहुत ही छोटा है और इसमें कुछ शब्द ही बदले जाने की चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद यह विधेयक